By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. TSM/2/2015/STGDH/SEOTH/RU-I

Date: 20/11/2017

To

1. The Chairman,
   Delhi Subordinate Services Selection Board,
   FC-18, Near Railway Reservation Centre,
   Institutional area,
   Karkardooma,
   New Delhi – 110092.

2. The Chairman,
   Jammu & Kashmir State Board of School Education,
   Rehari Colony,
   Jammu.

Sub: Representation dated 08/12/2015 received from Shri Tofan Singh Meena, S/o Shri Failiram Meena, R/o Village - Thikriya, Tehsil - Baamanvas, Distt. Sawai Madhopur, Rajasthan regarding appointment as Assistant Teacher.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 20/11/2017 on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report in this regard may be furnished to the Commission at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Tofan Singh Meena,
S/o Shri Failiram Meena,
R/o Village - Thikriya,
Tehsil - Baamanvas,
Distt. Sawai Madhopur,
Rajasthan.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST.
2. SAS NIC (for hosting on Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- TSM/2/2015/STGDH/SEOTH/RU-I)

श्री तोफानसिंह मीना, ग्राम- ठिकरिया, तहसील- बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बावजूद सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	20.11.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री तोफान सिंह मीना, ग्राम- ठिकरिया, तहसील- बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बावजूद सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में दिनांक 08.12.2015 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया. अभ्यावेदन में अभ्यावेदक ने लिखा है कि वे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 004/2009 के क्रम में विज्ञापित पद कोड 71/09 सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद के लिए आवेदन किये थे. दिनांक 25.08.2013 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उनका चयन अनुसूचित जनजाति श्रेणी में हो गया. दिनांक 25.05.2015 को दस्तावेज प्रमाणन के लिए वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए. दस्तावेज प्रमाणन के दौरान उन्हें इस पद के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया.
2. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दिनांक 10.12.2015 को एक नोटिस भेज कर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 15 दिनों के अन्दर जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे कोई जवाब नही आया। आयोग ने पुनः दिनांक 08.01.2016 को संस्मरण नोटिस भेजकर शीघ्र जानकारी और तथ्यों से आयोग को अवगत कराने के लिए लिखा. इसका भी कोई जवाब आयोग को प्राप्त नही हुआ. आयोग ने दिनांक 04.02.2016 को एक स्मरण पत्र भेजकर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जानकारी माँगी. इस बीच दिनांक 10.02.2016 को

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अभ्यावेदक ने आयोग से दुबारा न्याय दिलाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया. आयोग ने दिनांक 15.02.2016 को एक नोटिस भेजकर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 17.02.2016 तक जानकारी व तथ्य माँगी.

3. पत्र के जवाब में उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का दिनांक 10.02.2016 को पत्र प्राप्त हुआ. पत्र में बताया गया कि निम्नलिखित आधारों पर श्री तोफान सिंह मीना को इस पद के लिए अस्वीकार कर दिया गया है-
    क. आवेदक ने ऑफलाइन मोड में आवेदन किया था जिसमे उन्होंने अपना जेबीटी/ईटीटी (वांछित योग्यता प्रमाण पत्र) संलग्न नहीं किया था.
    ख. आवेदन भरते समय आवेदक ने वांछित योग्यता उतीर्ण करने का वर्ष और माह तथा प्राप्त प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया था.
    ग. आवेदक ने आवेदन बिना तिथि के जमा किया था जो बोर्ड के पास दिनांक 25.08.2015 को पहुंचा. आवेदक ने आवेदन के साथ जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ईटीटी रिजल्ट गजेट संलग्न किया था, जिसमें यह प्रदर्शित था कि आवेदक ने ईटीटी द्वितीय वर्ष 2007 में तथा प्रथम वर्ष 2009 में उत्तीर्ण किया है. यह दस्तावेज प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य नहीं था.
    घ. ईटीटी द्वितीय वर्ष का अंक पत्र दिनांक 07.06.2010 को जारी हुआ था जो कि कट ऑफ डेट दिनांक 15.01.2010 के बाद का था.
4. उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के इस प्रत्युत्तर से दिनांक 02.03.2016 को पत्र द्वारा अभ्यावेदक श्री तोफान सिंह को सूचित किया गया. अभ्यावेदक ने इसके प्रत्युत्तर में दिनांक 13.04.2016 को रिज्वाइनडर भेजा. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा उल्लिखित आधार तथ्यहीन है. क्योंकि बोर्ड द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट जो दिनांक 15.01.2010 था के पहले यानी दिनांक 13.01.2010 को ईटीटी का रिजल्ट आ चुका था. उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न की.
5. आयोग ने अभ्यावेदक के रिज्वाइनडर पर विचार कर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 13.04.2016 को नोटिस भेजकर आयोग में दिनांक 28.04.2016 को चर्चा के लिए बुलाया. निर्धारित बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अनुपस्थित रहे. इस पर आयोग ने दिनांक 04.05.2016 को सम्मन जारी कर दिनांक 23.05.2016 को आयोग में उपस्थित होने का नोटिस भेजा. इस सम्मन नोटिस के प्रत्युत्तर में दिनांक 23.05.2016 को उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पत्र मिला

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिसमे उन्होंने पूर्व में प्रेषित आधारों का उल्लेख किया जिसके कारण अभ्यर्थी का चयन नही किया जा रहा है. साथ ही इसमे यह भी उल्लेख किया गया कि सहायक सचिव, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को पत्र भेजकर आवेदक श्री तोफान सिंह मीना के प्रमाण पत्र की जांच कराई जा रही है. जांच के पश्चात् उचित कार्यवाई की जायेगी.

6. आयोग ने दिनांक 28.06.2016 को पत्र भेजकर उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जवाब से अभ्यावेदक श्री तोफान सिंह मीना को अवगत कराया. इसके प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने दिनांक 28.07.2016 को रिज्वाइनडर दिया और उन आधारों का खंडन किया जिसके विषय में बोर्ड ने अपने पत्र में उल्लेख किया है.

7. अभ्यावेदक के रिज्वाइनडर से अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 04.08.2016 के पत्र द्वारा सूचित करते हुए दिनांक 01.09.2016 को अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आयोग में चर्चा के लिए बुलाया गया. इस बैठक में अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अनुपस्थित रहे जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिनांक 14.09.2016 को सम्मन जारी करते हुए उन्हें दिनांक 23.09.2016 को आयोग में उपस्थित होने को कहा गया. इस बैठक में भी अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अनुपस्थित रहे तथा इसके प्रत्युत्तर में उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का दिनांक 23.09.2016 का पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि इस मामले के सम्बन्ध में आयोग को पूर्व के पत्रों द्वारा सूचित किया जा चुका है. तथा मामले में आवेदक श्री तोफान सिंह मीना के प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने हेतु जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को पत्र भेजा गया है.

8. आयोग ने दिनांक 27.09.2016 को एक पत्र सचिव, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तथा अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेज कर मामले में 15 दिन के अंदर कार्यवाई कर रिपोर्ट भेजने को कहा. इसके प्रत्युत्तर में उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का दिनांक 17.10.2016 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ. इसमे यह उल्लेख किया गया कि सहायक सचिव,जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिनांक22.09.2016 को पत्र भेजकर यह सूचित किया है कि श्री तोफान सिंह मीना के मामले में परीक्षण कर यह पाया गया है कि-उन्होंने प्रथम वर्ष ईटीटी की परीक्षा में सत्र वर्ष 2006 में शामिल हुए तथा इनका परीक्षाफल नोटिफिकेशन नंबर- 12/ईटीटी/आई/जेडी/बी/06 दिनांक-04.12.2006 के द्वारा घोषित हुआ (टीएलई अंग्रेजी परीक्षा में पुनर्सम्मिलित के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

साथ). पुनः द्वित्तीय वर्ष की परीक्षा में वे वर्ष 2007 में शामिल हुए, जिसका परीक्षाफल 14.08.2007 को घोषित हुआ. किन्तु इनका परीक्षा परिणाम प्रथम वर्ष की टीएलई अंग्रेजी परीक्षा में पुनर्सम्मिलित होने के कारण रोक रखा गया था. प्रथम वर्ष की टीएलई अंग्रेजी परीक्षा की परीक्षा इन्होने वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की जिसका परीक्षा परिणाम 13.01.2010 को घोषित हुआ. इसके पश्चात् इनका द्वित्तीय वर्ष का परीक्षा परिणाम नोटिफिकेशन नंबर-75/ईटीटी-ii/2007 दिनांक-17.03.2010 के द्वारा जारी हुआ. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अंतिम नोटिफिकेशन तिथि को आधार मान रहा है जो कि निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक 15.01.2010 से आगे यानी दिनांक 17.03.2010है. इस आधार पर आवेदक की अहर्ता उक्त तिथि को पूर्ण नहीं होती.

9. आयोग ने इस मामले में दिनांक 24.10.2016 को नोटिस जारी कर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा सचिव,जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बैठक के लिए आयोग में दिनांक 02.11.2016 को बुलाया. बैठक में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी तो शामिल हुए किन्तु सचिव, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उपस्थित नहीं हुए इस कारण बैठक में कोई निर्णय नहीं किया जा सका. अतः आयोग ने दिनांक 03.11.2016 को पत्र जारी कर सभी सम्बंधित पक्षों को अगली तिथि 11.11.2016 को निर्धारित कर आयोग में बैठक के लिए बुलाया. इस बैठक में भी सचिव, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उपस्थित नहीं हुए. बैठक में आयोग ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में सचिव, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अनुपस्थिति से मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर को अवगत कराने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा जाय. साथ ही आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि चूंकि इस मामले में श्री तोफान सिंह मीना का परीक्षाफल दिनांक 15.01.2010 को जारी हो चुका था किन्तु इसे नोटिफाई नहीं किया गया, अतःजम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक नोटिस जारी कर परीक्षा परिणाम जारी करने की घोषणा दिनांक 17.03.2010 की जगह दिनांक13.01.2010 करें. जब ऐसी घोषणा हो जाए तब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अभ्यावेदक श्री तोफान सिंह मीना की अहर्ता सिद्ध करते हुए उन्हें चयनित पद पर नियुक्ति प्रदान करे.

10. आयोग में दिनांक 11.11.2016 को संपन्न बैठक का कार्यवृत सभी सम्बंधित पक्षों को दिनाक 22.02.2017 के पत्र द्वारा जारी कर दी गई.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

11.इसके पश्चात श्री तोफान सिंह मीना ने दिनांक 12.04.2017 को एक आवेदन देकर आयोग को सूचित किया कि आयोग की सीटिंग और कार्यवृत जारी होने के करीब एक माह से अधिक व्यतीत होने के पश्चात् उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई. उन्होंने इस मामले में आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया.

12.आयोग ने अभ्यावेदक के आवेदन पर विचार करते हुए अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मामले में 15 दिन के अन्दर जानकारी भेजने के लिए दिनांक 27.07.2017 को एक नोटिस भेजा. इस मामले में आयोग को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. आयोग ने दिनांक 09.10.2017 को एक स्मरण पत्र भेजकर दुबारा जवाब माँगा. इसके पश्चात् दिनांक 08.11.2017 को अभ्यावेदक ने आयोग में उपस्थित होकर पुनः मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया. आयोग ने मामले पर विचार करते हुए दिनांक 08.11.2017 को एक नोटिस भेजकर अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को आयोग में दिनांक 20.11.2017 को चर्चा के लिए बुलाया.

13.बैठक मे चर्चा के लिए दिनांक 20.11.2017को श्री सोहन सिंह कनावत, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा प्रो. वीणा पंडित, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उपस्थित हुए ।

14.आयोग ने मामले में अभ्यावेदक से अपना पक्ष रखने को कहा, तब अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि वे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 004/2009 के क्रम में विज्ञापित पद कोड 71/09 सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद के लिए आवेदन किये थे. दिनांक 25.08.2013 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उनका चयन अनुसूचित जनजाति श्रेणी में हो गया. दिनांक 25.05.2015 को दस्तावेज प्रमाणन के लिए वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए. दस्तावेज प्रमाणन के दौरान उन्हें इस पद के लिए अयोग्य इस आधार पर कर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जारी परीक्षाफल का नोटिफिकेशन दिनांक कट ऑफ डेट यानी 15.01.2010 के बाद का है. जबकि उनके सभी प्रमाण पत्रों पर परीक्षाफल की तिथि 13.01.2010 अंकित है. इस सन्दर्भ में जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रमाणित किया हुआ दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है. किन्तु दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसे मान्य नहीं कर रहा है.

15. आयोग ने कंट्रोलर एग्जामिनेशन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जानना चाहा कि जब अभ्यावेदक के पास दिनांक 13.01.2010 का अंकित अंक पत्र है और एक अन्य प्रमाण पत्र द्वारा इसे जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एजुकेशन ने प्रमाणित किया है तब इसे क्यों नहीं माना जा रहा. इस पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आयोग को अवगत कराया कि जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा दो अलग अलग तिथियों से सम्बंधित नोटिफिकेशन दिए गए हैं, इस कारण बोर्ड को तिथि की स्पष्टता नहीं हो रही है. यदि जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस आशय का कोई प्रमाण पत्र या नोटिफिकेशन जारी कर दे तब बोर्ड को वह मान्य होगा.

16. आयोग ने अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से इस पर उनका पक्ष जानना चाह तो उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि आवेदक श्री तोफान सिंह मीना ने प्रथम वर्ष ईटीटी की परीक्षा में सत्र वर्ष 2006 में शामिल हुए तथा इनका परीक्षाफल नोटिफिकेशन नंबर- 12/ईटीटी/आई/जेडी/बी/06 दिनांक- 04.12.2006 के द्वारा घोषित हुआ (टीएलई अंग्रेजी परीक्षा में पुनर्सम्मिलित के साथ). पुनः द्वित्तीय वर्ष की परीक्षा में वे वर्ष 2007 में शामिल हुए, जिसका परीक्षाफल 14.08.2007 को घोषित हुआ. किन्तु इनका परीक्षा परिणाम प्रथम वर्ष की टीएलई अंग्रेजी परीक्षा में पुनर्सम्मिलित होने के कारण रोक रखा गया था. प्रथम वर्ष की टीएलई अंग्रेजी परीक्षा की परीक्षा इन्होने वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की जिसका परीक्षा परिणाम 13.01.2010 को घोषित हुआ. इसके पश्चात् इनका द्वित्तीय वर्ष का परीक्षा परिणाम नोटिफिकेशन नंबर-75/ईटीटी-ii/2007 दिनांक- 17.03.2010 के द्वारा जारी हुआ. किन्तु इनके प्रमाण पत्रों पर 13.01.2010 की तिथि अंकित है और यही परिणाम तिथि भी है.

17. आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण कर यह पाया कि अभ्यावेदक ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए विज्ञापित पद की अहर्ता पूर्ण करते हैं किन्तु इतने वर्षों से नोटिफिकेशन और रिजल्ट डिक्लेयरेशन तिथि के मुद्दे पर नियुक्ति से वंचित रखा गया. इस तरह से एक अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी के साथ इतने वर्षों से अन्याय हुआ है. आयोग सभी प्रमाण पत्रों को देखते हुए और सभी पक्षों को सुनते हुए यह अनुशंसा करता है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जारी तिथि के प्रमाणन के दस्तावेज और अभ्यावेदक के प्रमाण पत्रों पर अंकित दिनांक 13.01.2010 को ही परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को मान्य करते हुए 15 दिन के अन्दर निर्धारित पद पर नियुक्ति प्रदान करे.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- TSM/2/2015/STGDH/SEOTH/RU-I)

श्री तोफान सिंह मीना, ग्राम- ठिकरिया, तहसील- बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवाचयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बावजूद सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी,उप सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायकनिदेशक
5. श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

दिल्लीअधीनस्थ चयन बोर्ड के अधिकारी

1. श्री सोहन सिंह कनावत, कंट्रोलर एग्जामिनेशन

जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल के अधिकारी

1. प्रो. वीणा पंडित, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन

अभ्यावेदक

1. श्री तोफान सिंह मीना